

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 जून, 2017

**सं. 14/2017-एकीकृत कर (दर)**

**सा.का.नि. 689(अ).**—केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप-धारा (5) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माल और सेवाकर परिषद् की सिफारिशों पर, यह अधिसूचित करती है कि सेवा के निम्नलिखित प्रवर्गों की दशा में, राज्य के भीतर पूर्ति पर कर इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक द्वारा संदत्त किया जाएगा-

- (i) रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटर साइकिल द्वारा यात्रियों के परिवहन के माध्यम के रूप में सेवाएं;
- (ii) होटल, सराय, अतिथि गृह, क्लबों, शिविर स्थल या अन्य वाणिज्यिक स्थानों, जो निवासीय या आवासीय प्रयोजनों के लिए हैं, में वास सुविधा देने के रूप में सेवा सिवाय वहां जहां इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से ऐसी सेवाओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगा।

**स्पष्टीकरण**—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “रेडियो टैक्सी” से ऐसी टैक्सी जिसमें रेडियो कैब जो किसी भी नाम से पुकारी जाए, जिसमें केन्द्रीय नियंत्रण कार्यालय से जो मार्गीय रेडियो संचार है तथा ट्रैकिंग के लिए ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस) या जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) प्रयोग करने के लिए सक्षम है, अभिप्रेत है;

(ख) “मैक्सी कैब”, “मोटर कैब” और “मोटर साइकिल” का वही अर्थ होगा जो उनका क्रमशः मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (22), खंड (25) और खंड (26) में है।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/1/2017-टी.आर.यू.]

रुचि बिष्ट, अवर सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th June, 2017

**No. 14/2017-Integrated Tax (Rate)**

**G.S.R. 689(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies that in case of the following categories of services, the tax on inter-State supplies shall be paid by the electronic commerce operator –

- (i) services by way of transportation of passengers by a radio-taxi, motorcab, maxicab and motor cycle;
- (ii) services by way of providing accommodation in hotels, inns, guest houses, clubs, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purposes, except where the person supplying such service through electronic commerce operator is liable for registration under clause (v) of section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 read with sub-section (1) of section 22 of the said **Central Goods and Services Tax Act**.

*Explanation.*— For the purposes of this notification,—

- (a) “radio taxi” means a taxi including a radio cab, by whatever name called, which is in two-way radio communication with a central control office and is enabled for tracking using Global Positioning System (GPS) or General Packet Radio Service (GPRS);
- (b) “maxicab”, “motorcab” and “motor cycle” shall have the same meanings as assigned to them respectively in clauses (22), (25) and (26) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988).

2. This notification shall come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[F. No. 334/1/2017 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.